



भा.वा.अ.शि.प.-उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)

डाकघर - आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड, जबलपुर - 482 021

ICFRE – TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE

(Indian Council of Forestry Research & Education)

(An Autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change Govt. of India)

P.O. – R.F.R.C, Mandla Road, JABALPUR – 482 021 (M.P.)



क्रमांक: 1-1-25/23/PF-HKG/Estt./TFRI/2025/919

दिनांक 10/11/2025

आदेश(Order)

सचिव भा.वा.अ.शि.प. देहरादून के आदेश संख्या- 35-1104/2023-ICFRE, दिनांक: 28/10/2025 अनुपालन में श्री हेमंत कुमार गागल, अवर सचिव, को दिनांक 10/11/2025 (अपराह्न) से भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं. जबलपुर के अवर सचिव, पद के कर्तव्यों से कार्यमुक्त किया जाता है। श्री हेमंत कुमार गागल, भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में कार्यभार ग्रहण करेंगे। उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता और कार्यग्रहण समय देय नहीं होगा।

In compliance of the Secretary, ICFRE-Dehradun Order No.- 35-1104/2023-ICFRE dated-28/10/2025, Shri Hemant Kumar Gagal, Under Secretary, is relieved from his duties from ICFRE-TFRI, Jabalpur w.e.f. Afternoon of 10/11/2025. He would report to the ICFRE-Arid Forest Research Institute, Jodhpur.

No Transfer Travelling Allowance and joining time will be admissible to him as per rules.

Nedun
10/11/2025
(नीलू सिंह)

प्रभारी निदेशक

भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भा.वा.अ.शि.प.-देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री हेमंत कुमार गागल, अवर सचिव, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रभागाध्यक्ष सुविधाएँ एवं सेवाएँ, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., को सूचनार्थ प्रेषित।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., को सूचनार्थ एवं No Dues Certificate की प्रति सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. भण्डार अनुभाग/ पुस्तकालय अनुभाग, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी IT Cell, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. निदेशक के निजी सचिव, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. संबंधित की सेवाएँ प्रदान करने हेतु सूचित करने के लिए सूचनार्थ प्रेषित।